एक नजर में

राजस्थान में मां के अंतिम संस्कार के समय हो गई बेटे की मौत

जासं ● जयपुर : राजस्थान के बीकानेर में मां के शव को मुखाग्नि देते समय बेटे की भी मौत हो गई। मां को जलती हुई चिता पर देखकर बेटे को हार्ट अटैक हो गया। मोक्षधाम में बेटा बेहोश होकर गिर गया, स्वजन ने अस्पताल पहुंचाया तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना सोमवार की है। जानकारी के अनुसार सोमवार को बीकानेर की नोखा निवासी तारादेवी का निधन हुआ था। मोक्षधाम में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। उनके बड़े बेटे सुभाष मां के शव को मुखाग्नि देते समय बेहोश होकर गिर गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

शिमला में आवारा कुत्ते के मुंह में मिला नवजात का शव

जासं ● शिमला : पुलिस थाना ढली के अंतर्गत देवली कालोनी स्थित नंद काटेज के पास मंगलवार को आवारा कुत्ते के मुंह में नवजात का शव मिला है। मामले की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की है। नवजात लड़का था, जो मृत पाया गया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में नवजात के सिर, चेहरे और पीठ पर किसी कुत्ते या जंगली जानवर द्वारा काटे जाने के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा लिया है। डाक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य जांच रिपोर्ट बाद में देने की बात कही है।

पांच लाख की रिश्वत लेने के आरोप में सीजीएसटी अधिकारी गिरफ्तार

नई दिल्ली ● प्रेट्र : सीबीआइ ने मुंबई में केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर (सीजीएसटी) के एक अधीक्षक को पांच लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सीजीएसटी-1, मुंबई में तैनात अधीक्षक अंकित अग्रवाल ने कंपनी से 20 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी, लेकिन बातचीत के दौरान उन्होंने इसे घटाकर 17 लाख रुपये कर दिया और सोमवार को पांच लाख रुपये तत्काल देने को कहा। उसने निजी कंपनी को 98 लाख रुपये के कर वसूली की धमकी दी थी।

वाड्रा के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में दायर आरोपपत्र पर सुनवाई टली

जासं ● नई दिल्ली: राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति व कारोबारी राबर्ट वाड्रा व अन्य के खिलाफ ईडी से जुड़ी सुनवाई को टाल दिया। अब यह मामला 22 जनवरी 2026 को सुना जाएगा, जब कोर्ट पीएमएलए के तहत दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के सवाल पर सुनवाई करेगी। यह मामला 2008 में गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में 3 .53 एकड़ जमीन के धोखाधड़ीपूर्ण सौदे से जुड़े मनी लांड्रिंग आरोप से संबंधित है। ईडी का आरोप है कि वाड्रा ने फर्जी जमीन सौदे के जरिए अपराध की आय उत्पन्न की और इन्हें उनकी विभिन्न कंपनियों के माध्यम से घुमाया।

बरेली उपद्रव में 'षड्यंत्र का ठिकाना' ध्वस्त, बरातघर पर चला बुलडोजर

जासं ● बरेली : उपद्रव से पहले षड्यंत्र का ठिकाना बना बेग बरातघर मंगलवार को ध्वस्त कर दिया गया। उस पर बरेली विकास प्राधिकरण के चार बुलडोजर सात घंटे चलाए गए। उपद्रव के मुख्य आरोपित मौलाना तौकीर रजा के करीबी पूर्व पार्षद वाजिद बेग ने पिछले वर्ष नक्शा स्वीकृत कराए बिना इसका निर्माण करा लिया था। बीडीए के तीन नोटिस के बाद भी उसने जवाब नहीं दिया, जिसके बाद बुलडोजर चला दिए गए। कानपुर में 'आइ लव मोहम्मद' लिखे पोस्टर विवाद की आड़ में इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने 26 सितंबर को शहर में उपद्रव कराया था।

ओडिशा में 22 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण

जासं, अनुगुल: ओडिशा के मलकानगिरी में पुलिस के समक्ष 22 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इसे इस वर्ष राज्य में माओवादियों का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण माना जा रहा है। आत्मसमर्पण करने वालों में एक संभागीय समिति सदस्य, छह सहायक समिति व उपसमिति सदस्य तथा 15 पार्टी सदस्य शामिल हैं। इन सभी पर 5 .5 लाख रुपये से लेकर 27 .5 लाख रुपये तक का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में सुकमा जिले का संभागीय समिति सदस्य 45 वर्षीय लिंगे उर्फ मायरे मड़कम और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले का क्षेत्रीय समिति सदस्य व 27 वर्षीय कमांडर बामन मड़कम भी शामिल है।

जागरण विशेष

गोली-बंदूक नहीं, अब सड़क, सुरक्षा और हाट हैं अबूझमाड़ की नई पहचान

दुर्गम इलाके में दशकों तक डर, बंदूक और बारूदी सुरंगों ने जिंदगी को बंधक बनाए रखा, सरकार की पहल से बदले हालात

अनिमेष पाल ● नईदुनिया

जगदलपुर: अबूझमाड़-छत्तीसगढ़ का वह दुर्गम इलाका, जहां दशकों तक डर, बंदूक और बारूदी सुरंगों ने आम जिंदगी को बंधक बनाए रखा। जहां नमक, चावल और दवा जैसी बुनियादी जरूरतें भी कई दिनों की जोखिम भरी पैदल यात्रा के बाद नसीब होती थीं। आज उसी अबूझमाड़ में बदलाव की सबसे बड़ी पहचान सड़क बनने से खाद्यान्न, जरूरी सामान और स्वास्थ्य सेवाओं की गांव तक पहुंच बनने की शुरुआत हो गई है। शनिवार को जाटलूर गांव में पहली बार साप्ताहिक हाट (बाजार) लगना इसी बदलाव की ठोस तस्वीर है।

जाटलूर वही पंचायत है, जहां कुछ महीने पहले भाकपा (माओवादी) के शीर्ष नेता बसवा राजू मुठभेड़ में मारा गया था। लंबे समय तक माओवादियों का गढ़ रहे इस इलाके में अब सुरक्षा कैंप, सड़क पहुंचा दी गई है। पीडीएस दुकान और उपस्वास्थ्य केंद्र खोलने की तैयारी है, जो प्रशासनिक वापसी के सबसे बड़े संकेत बनकर उभरे हैं। हाट का लगना महज व्यापारिक गतिविधि नहीं, बल्कि उस भरोसे की वापसी है, जो वर्षों से जंगलों में दबा हुआ था।

अब गांव तक पहुंच रहीं दवाएं एवं राशन: जिला पंचायत सीईओ नम्रता खलको के मुताबिक, अब तक जाटलूर और आसपास के दर्जनों गांवों के लिए सरकारी राशन दुकान ओरछा विकासखंड मुख्यालय से संचालित होती थी। ग्रामीणों को राशन के लिए 40 से 65 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता था। अब जाटलूर में पीडीएस दुकान और उपस्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हो चुके हैं। मनरेगा (अब इस योजना का नाम विभ जीरामजी हो गया है) के जॉब कार्ड तो वर्षों पहले बन गए थे, लेकिन माओवादी दखल के कारण करीब चार दशकों तक कोई काम शुरू नहीं हो सका था। अब सुरक्षा कैंपों और सड़कों के निर्माण से हालात बदले हैं।

जहां डर था, वहां लग रहीं हैं सौदेबाजी की आवाजें: पहली बार यहां लगे हाट में सब्जियों से भरी टोकरी, वनोपज के ढेर और खरीद-फरोख्त की आवाजें सुनाई दीं। यह बदलाव का बड़ा उदाहरण है। डोडीमरका की मासे, जो घर की उगाई सब्जियां बेचने आई हैं, कहती हैं कि "पहले जंगल में डर लगता था। कई किलोमीटर चलकर सामान बेचना पड़ता था। अब बाजार गांव में है और दाम भी ठीक मिल रहा है।"

मुरुमवाड़ा से बर्तन खरीदने आए सोमा बताते हैं कि सड़क और कैंप बनने के बाद आने-जाने में डर नहीं लगता। पदमेटा की सोमा कहती हैं कि अब वह वनोपज सीधे व्यापारियों को बेच पा रही हैं। चार दशक तक बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रखने वाले इस इलाके में अब जिला मुख्यालय और आसपास से व्यापारी भी पहुंचने लगे हैं। जाटलूर-लंका एक्सिस पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी ने व्यापार को भीतर तक आने का भरोसा दिया है।

दो माह में बनाए गए नौ सुरक्षा कैंप

अबूझमाड़ के इस माओवादी कारीडोर को तोड़ने के लिए महज दो माह में नौ सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए। एक सितंबर को ओरछा से आगे एडजुम में पहला कैंप खुला। इसके बाद अन्य जगहों पर कैंप बने। बीजापुर सीमा के पास, ओरछा से 65 किलोमीटर दूर लंका में कैंप खोलकर एक मजबूत सुरक्षा श्रृंखला खड़ी की गई। इन कैंपों के साथ-साथ घने जंगल और पहाड़ियों के बीच सड़कें बनीं। जहां कभी केवल पगडंडियां थीं, वहां अब चारपहिया वाहन पहुंचने लगे हैं।

जाटलूर गांव में पहली बार लगा साप्ताहिक हाट (बाजार) ● नईदुनिया

सिमटता माओवाद और लौटता सामान्य जनजीवन

पिछले दो वर्षों में बस्तर में माओवादी हिंसा की रीढ़ कमजोर पड़ी है। अबूझमाड़ में भी 210 माओवादियों ने हथियार छोड़ दिए, जिनमें भाकपा (माओवादी) के वैचारिक स्तंभ केंद्रीय रिजनल ब्यूरो प्रमुख व पोलित ब्यूरो सदस्य भूपति और केंद्रीय समिति सदस्य रुपेश शामिल हैं।

यह बाजार केवल आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि शांति की वापसी का संकेत है। सुरक्षा, सड़क और बाजार—तीनों मिलकर विकास की स्थायी नींव रखते हैं।

राबिन्सन गुरिया, पुलिस अधीक्षक नारायणपुर

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

वक्फ संशोधन विरोध : हिंसा में पिता-पुत्र की नृशंस हत्या में 13 लोगों को उम्रकैद

बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में भड़की हिंसा के दौरान हुई थी दोनों की हत्या, जुर्माना भी लगाया

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता: बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जाफराबाद में इस वर्ष अप्रैल में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में भड़की हिंसा के दौरान पिता-पुत्र की नृशंस हत्या के मामले में जंगीपुर महकमा अदालत ने 13 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन्हें भारतीय न्याय संहिता की 03(2) (सामूहिक पिटाई कर हत्या), 191(3) (दंगा फैलाना) समेत कई गंभीर धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है। सभी पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसका भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त तीन महीने की सजा काटनी होगी। अदालत ने इसके साथ ही बंगाल सरकार को मृतकों के परिवार को 15 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।

न्यायाधीश ने घटना को बताया सभ्य समाज पर काला धब्बा : मामले पर सुनवाई गत 16 दिसंबर को पूरी हुई थी। न्यायाधीश अमिताभ मुखोपाध्याय ने 22 दिसंबर को चार्जशीट में नामजद सभी 13 लोगों को दोषी करार दिया था। फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को सभी दोषियों को कड़ी सुरक्षा में अदालत में पेश किया गया था। शाम 5.20 बजे सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ने घटना को सभ्य समाज पर काला धब्बा बताया। सजा सुनते ही दोषियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें फंसाया गया है। मामले में कुल 38 लोगों की गवाही दर्ज की गई।

निजी दुश्मनी के कारण की गई थीं हत्याएं

गत अप्रैल में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में बंगाल में कई जगहों पर हिंसा भड़की थी। 12 अप्रैल को मुर्शिदाबाद जिले के जाफराबाद में 72वर्षीय हरगोबिंद दास व 40 वर्षीय उनके पुत्र चंदन दास को घर से घसीटकर धारदार हथियारों से वार करके हत्या कर दी गई थी। जिला पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया था। जांच में दावा किया था कि सांप्रदायिक अथवा राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि निजी दुश्मनी की वजह से वारदात को अंजाम दिया गया। जांच दल ने 56 दिन बाद अदालत में 983 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिनमें 13 लोगों के नाम थे। अदालत ने उन सभी को दोषी करार देकर सजा सुनाई है।

हांसखाली सामूहिक दुष्कर्म मामले में टीएमसी नेता के पुत्र समेत तीन को उम्रकैद

जन्मतिथि की पार्टी में तृणमूल नेता के बेटे सोहेल गयाली ने अपने दोस्तों के साथ नाबालिग से किया था दुष्कर्म

राज्य ब्यूरो ● कोलकाता : बंगाल के नदिया जिले के हांसखाली में चार अप्रैल, 2022 को हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में मंगलवार को रानाघाट उपजिला अदालत ने दोषी ठहराए गए तीन लोगों ब्रजगोपाल गयाली उर्फ सोहेल गयाली, प्रभाकर पोद्दार और रंजीत मलिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 34 (संयुक्त अपराध), 201 (सुबूत नष्ट करना), 506 (धमकी), 304 (2) और 376 डीए के तहत इन्हें दोषी पाया गया है। इनमें मुख्य आरोपित सोहेल है, जो तृणमूल के तत्कालीन पंचायत सदस्य समरेंद्र गयाली का पुत्र है। फैसला सुनने के बाद मृतक के परिवारवाले रो पड़े। बता दें कि हैवानियत की यह घटना उस समय पूरे देश में चर्चित हुई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी थी। मामले में अदालत ने सोमवार को नौ लोगों को दोषी ठहराया था।

शराब पीकर की थी दरिंदगी

सोहेल ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर अपनी जन्मतिथि की पार्टी में 14 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। आरोपितों ने शराब पीकर दरिंदगी की थी। घटना के अगले दिन अत्यधिक रक्तस्राव के कारण पीड़िता की मौत हो गई थी। आरोपितों ने सुबूत मिटाने के लिए बिना किसी मृत्यु प्रमाण पत्र के जल्दबाजी में पीड़िता के शव का जबरन अंतिम संस्कार करा दिया था। घटना के चार दिन बाद मृतका की मां ने पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत दर्ज कराने के बाद पीड़ित परिवार को लगातार धमकियां मिल रही थीं।

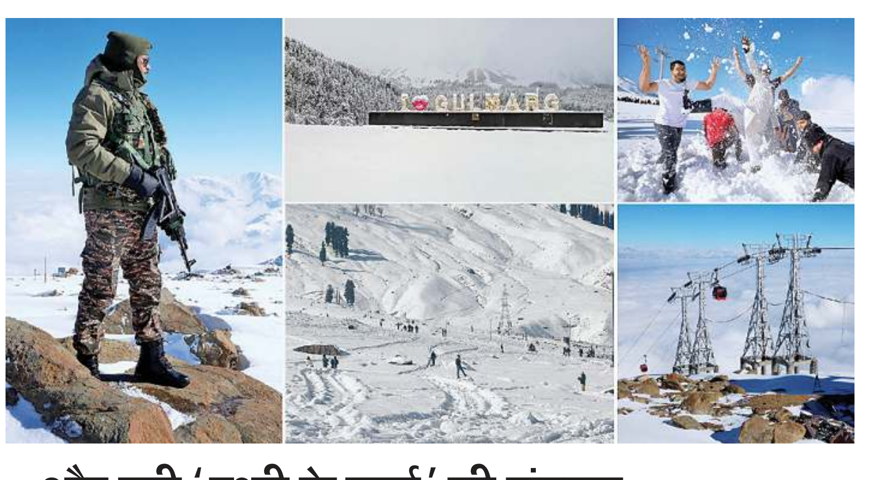

...और बढ़ी 'पृथ्वी के स्वर्ग' की सुंदरता

बर्फबारी के बाद पृथ्वी के स्वर्ग के रूप में प्रसिद्ध कश्मीर की सुंदरता और बढ़ गई है। गुलमर्ग की अफ्रावत चोटी पर मंगलवार को मुस्तैद सीआरपीएफ जवान के सामने बर्फ की सफेद चादर से ढकी वादियों में लिखा 'आइ लव गुलमर्ग', बर्फ में खेलते पर्यटक, लोगों को लेकर जाती केबल कार, सर्दी के बीच बने खुशनुमा माहौल को प्रदर्शित करती है ● रायटर/एएनआइ

अखलाक हत्याकांड में मुकदमा वापस लेने की उत्तर प्रदेश सरकार की अर्जी अदालत में खारिज

अभियोजन ने सामाजिक सद्भाव कायम करने के लिए वाद वापस लेने की अनुमति देने को कहा था

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय ने मंगलवार को अखलाक हत्याकांड में दर्ज मुकदमे को वापस लेने की उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। जज सौरभ द्विवेदी ने अभियोजन पक्ष की ओर से केस वापसी के लिए दाखिल अर्जी को आधारहीन करार देते हुए निरस्त कर दिया। जज ने अभियोजन को बाकी गवाहों व साक्ष्यों को जल्द अदालत के सामने प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई छह जनवरी को होगी। वहीं, मामले से जुड़े गवाहों की आवश्यकता के अनुसार सुरक्षा देने के लिए पुलिस को निर्देश दिए हैं। इससे पहले शुक्रवार को पीड़ित स्वजन ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मामला वापस लेने के लिए न्यायालय में लगाई अर्जी के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता युसूफ सैफी ने अब इस अर्जी को वापस लेने की बात कही है।

28 सितंबर 2015 की रात गौतमबुद्धनगर जिले के बिसाहड़ा गांव में भीड़ ने अखलाक के घर पर हमला किया था। सोते समय बाहर घसीटा और पीट-पीटकर हत्या कर दी। अफवाह थी कि उसके घर में गोमांस रखा गया है। मंगलवार को सुनवाई शुरू होते ही अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भाग सिंह भाटी ने दलील दी कि अखलाक की पत्नी इकरामन ने आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। विवेचना व गवाहों के दर्ज कराए गए बयानों में विरोधाभास है। पहले 10 लोगों पर मामला दर्ज कराया गया था। बाद में नौ और लोगों के नाम लिए गए। घटनास्थल से बरामद कथित मांस विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने पर गोवंश का पाया गया था। घटनास्थल से सिर्फ लाठी-डंडे मिले थे, कोई असलहा या धारदार हथियार नहीं मिला था।

प्रार्थना-पत्र भ्रामक तथ्यों पर आधारित : पीड़ित पक्ष

पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अंदलीब नकवी व यूसुफ सैफी ने दलील दी कि मामला वापस लेने के लिए दाखिल प्रार्थना-पत्र भ्रामक तथ्यों पर आधारित है। सामाजिक सद्भाव के विपरीत है। मृतक की पत्नी प्रकरण में पीड़िता हैं, उन्हें सुने जाने का पूरा अधिकार है, इसलिए वाद वापसी की अनुमति दिए जाने योग्य नहीं है। प्रार्थना-पत्र में ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया, जो यह स्पष्ट करता हो कि उक्त अपराध को वापस लिया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। वहीं, आरोपितों के अधिवक्ता हरिराज सिंह ने दलील दी कि वादी अभियोजन के अंतर्गत ही अपने मामले की पैरवी कर सकती है। उसे अभियोजन के विरुद्ध जाकर पक्ष रखने का अधिकार नहीं है, इसलिए आपत्ति विधि विरुद्ध है। आरोपित अपना पक्ष रख सकते हैं।

उप्र विस अध्यक्ष ने कहा-आरोप लगाने से पहले सदस्यों को देना होगा शपथ-पत्र

आरोप लगाने से पहले साक्ष्य प्रस्तुत करने के नेता प्रतिपक्ष के बयान के बाद दी व्यवस्था

राज्य ब्यूरो ● लखनऊ : शीतकालीन सत्र में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मंगलवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा बिना साक्ष्यों के आरोप लगाए जाने के बीच व्यवस्था दी कि अब सदन में किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले सदस्य शपथ-पत्र देंगे। सदस्य उसको उनकी मेज पर भेजेंगे।

सपा के सदस्य रविदास मेहरोत्रा ने चीन निर्मित मांझे से होने वाले हादसों से संबंधित प्रश्न पर मिले लिखित उत्तर से असंतोष जाहिर करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर गलत सूचना देने का आरोप लगाया। प्रश्नकाल समाप्त हो जाने की वजह से पूरक प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिलने पर मेहरोत्रा ने कहा कि सरकार ने उनके प्रश्न का सही जवाब नहीं दिया है। उनके इस आरोप को खारिज करते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सरकार ने सही जवाब दिया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि यह परंपरा बन गई है कि जब मंत्री जवाब देते हैं तो सीधा जवाब न देकर पिछली सरकारों पर आरोप लगाते हैं। नियम है कि किसी के ऊपर आरोप लगाने पर सुबूत होना चाहिए। उन्होंने बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह द्वारा सपा शासन का जिक्र करने पर आपत्ति जताई। कहा कि कोई भी आरोप लगाने से पहले साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि यह परिपाटी बंद कराइए, अन्यथा हम लोग उसी समय विरोध करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने किसी दल का नाम नहीं लिया और पिछली सरकारों की बात की है।

दुष्कर्म मामले में कुलदीप सेंगर की सजा हाई कोर्ट ने निलंबित की

दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत मामले में अपील याचिका लंबित होने से अभी जेल में भी पड़ेगा रहना

जासं, नई दिल्ली: वर्ष 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत देते हुए उसकी सजा निलंबित कर दी। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद व न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने मंगलवार को 15 लाख रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के तीन जमानती पर रिहाई का आदेश देते हुए सेंगर पर सख्त शर्तें भी लगाईं। हालांकि, कुलदीप सेंगर अभी जेल में रहेगा, क्योंकि दुष्कर्म पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत मामले में उसकी अपील याचिका हाई कोर्ट में लंबित है और उस मामले में निर्णय आने के बाद ही वह जमानत पर बाहर आ सकेगा। पिता की हिरासत में मौत मामले में भी ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को दोषी करार दिया गया था। सेंगर के अधिवक्ता कन्हैया सिंघल का कहना है कि इस मामले में हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था और इस पर निर्णय का संबंधित अदालत के समक्ष जल्द ही उल्लेख किया जाएगा। अदालत ने यह आदेश ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा को चुनौती देने वाली कुलदीप सेंगर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद संगठन के लिए युवा चेहरों की तलाश शुरू

नीलू रंजन ● जागरण

नई दिल्ली : भाजपा के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष 45 वर्षीय नितिन नवीन की नियुक्त के बाद संगठन के लिए युवा चेहरों की तलाश शुरू हो गई है। इसके तहत विभिन्न राज्यों में सक्रिय कई युवा चेहरों को संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर जगह मिल सकती है। इनमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव से लेकर राष्ट्रीय सचिव तक के पद शामिल हैं। 14 जनवरी के बाद नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर चयन और उसके बाद राष्ट्रीय परिषद् में उस पर मुहर लगने के बाद राष्ट्रीय संगठन को पुनर्गठित किया जाएगा।

भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार, नितिन नवीन के साथ पार्टी के संगठन में युवा जोश और अनुभव दोनों के बीच संतुलन साधने की कोशिश होगी। मौजूदा महासचिवों में सुनील बंसल, विनोद तावड़े और तरुण चुग के पास आगे भी यही जिम्मेदारी जारी रह सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश से आने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, तमिलनाडु के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब को महासचिव बनाया जा सकता है।

सार्वजनिक सूचना

विषयः श्रीमती पुष्पा वाधवा की बिना वसीयत मृत्यु के आधार पर पुराने प्लाट न. 670, सेक्टर-12, सोनीपत पर प्रॉपर्टी न. 670, सेक्टर-12, सोनीपत के स्वामित्व का 100 प्रतिशत हिस्से के रूप में हस्तांतरण। रिकॉर्ड की अनुसार उक्त वर्णित प्रॉपर्टी के 100 प्रतिशत हिस्से की मालिक श्रीमती पुष्पा वाधवा की दिनांक 05.05.2020 को मृत्यु हो गई है व इनकी कोई भी पंजीकृत/अपंजीकृत वसीयत नहीं है व इनके क़ानूनी वारिस है : प्रीतम लाल वाधवा (पति), सन्नी वाधवा (पुत्र), स्पर्श वाधवा (पुत्र)। अब सन्नी वाधवा, स्पर्श वाधवा निवासी म.न. 670, सेक्टर-12, सोनीपत ने क़ानूनी वारिस होने के नाते उक्त प्रॉपर्टी को अपने पक्ष में हस्तांत्रित करने के लिए आवेदन किया है। यदि किसी व्यक्ति को आवेदको के पक्ष में उक्त संपत्ति के हस्तांतरण संबंधी कोई एतराज हो तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर संपदा अधिकारी, ह.श.वि.प्र. सोनीपत के कार्यालय में उचित प्रमाण सहित लिखित रूप में अपने एतराज बताएं अन्यथा उक्त संपत्ति को ह.श.वि.प्र. नीति अनुसार संपदा अधिकारी द्वारा हस्तांतरित कर दिया जाएगा और बाद में किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

सन्नी वाधवा, स्पर्श वाधवा (क़ानूनी वारिस)
संपदा अधिकारी, ह.श.वि.प्र., सोनीपत

कार्यालय सिविल सर्जन, कुरुक्षेत्र

निविदा सूचना

सिविल अस्पताल कुरुक्षेत्र में एक वर्ष के लिए जेएसएके डाइट टू डिलीवरी मामलों के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। दस्तावेज़ डाउनलोड की प्रारंभिक तिथि 26-12-2025, दस्तावेज़ डाउनलोड की समापन तिथि : 06-01-2026 को सायं 5.00 बजे। बोली खोलने की तिथि 07-01-2026 को प्रातः 10.00 बजे। ई-निविदा आवेदन शुल्क 5000/- रुपये, ईएमडी रु.1,00,000, विवरण के लिए कृपया etender.hry.nic.in पर जाएं। किसी भी पुछताछ के लिए कृपया 9416990189 पर संपर्क करें। सभी शुद्धिपत्र केवल etender.hry.nic.in पर उपलब्ध होंगे।

सिविल सर्जन, कुरुक्षेत्र

PRDH-1058/11/1249/2026/41382/67/6

INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY REGIONAL CENTRE, CHANDIGARH

No.IG/RC-Chd/Shifting/2025/ Date:24.12.2025

Notice Inviting Tender

Sealed tenders/quotations are invited from the bona-fide registered transporters/Movers & Packers having full-fledged service facilities and registered office in Haryana & Chandigarh for shifting of Office furniture / equipments/ materials etc. Details are available on http://rcchandigarh.ignou.ac.in/

Sr. Regional Director

इंडियनऑयल

CIN : L23201MH1959GOI011388

पानीपत रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स

नॉन-एक्जीक्यूटिव कार्मिकों की भर्ती

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्रों में अपनी सशक्त उपस्थिति के साथ एक विविधीकृत एवं एकीकृत ऊर्जा महारत्न कंपनी है। 'महारत्न' दर्जा प्राप्त यह संगठन **"द एनर्जी ऑफ इंडिया"** तथा **"एक वैश्विक स्तर पर प्रशंसित कंपनी"** बनने की आकांक्षा रखता है।

अपने भावी विकास को गति देने के उद्देश्य से, इंडियनऑयल **पानीपत रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स** के लिए **रु. 25,000-1,05,000/- के वेतनमान** में विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु भारतीय नागरिकता वाले प्रतिभाशाली, युवा एवं ऊर्जावान अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है।

विज्ञापन का विस्तृत विवरण, पदों की संख्या (आरक्षण सहित), शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य पात्रता शर्तें/पैरामीटर हमारे कॉर्पोरेट वेबसाइट www.iocl.com पर उपलब्ध हैं।

विस्तृत विज्ञापन देखने एवं ऑनलाइन आवेदन करने हेतु वेबसाइट www.iocl.com पर जाएँ **"What's New"** पर क्लिक करें > **'Requirement of Non-Executive Personnel in Refineries Division-2025'** पर जाएँ।

अधिसूचित पदवार रिक्तियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

पद कोड	पद का नाम	रिक्तियों की कुल संख्या
201	जू. इंजीनियरिंग असिस्टेंट - IV (उत्पादन)	19
203	जू. इंजीनियरिंग असिस्टेंट - IV (पी. एंड यू. - संचालन एवं अनुरक्षण)	19
205	जू. इंजीनियरिंग असिस्टेंट - IV मैकेनिकल)/ जू. तकनीकी सहायक-IV (मैकेनिकल)	2
206	जू. इंजीनियरिंग असिस्टेंट - IV (इन्स्ट्रूमेंटेशन)/ जू. तकनीकी सहायक-IV (इन्स्ट्रूमेंटेशन)	2
207	जू. गुणवत्ता नियंत्रण विश्लेषक - IV	4
208	जू. इंजीनियरिंग असिस्टेंट - IV (अग्नि एवं सुरक्षा)	5

अनुसूचित जाति (SC)/अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/दिव्यांगजन (PwBD)/भूतपूर्व सैनिक (ExSM) के लिए आरक्षित रिक्तियों का विवरण, जो कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार है, विस्तृत विज्ञापन में दिया गया है।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

गतिविधियाँ	संभावित तिथियाँ
ऑनलाइन आवेदन आरंभ होने की तिथि	20-12-2025 (10:00 बजे)
ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज अपलोड करने एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि	09-01-2026 (23:55 बजे)
कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) हेतु कॉल लेटर जारी किए जाने की संभावित समय-सारिणी	कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) से 7 दिन पहले
कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) आयोजित होने का संभावित माह*	जनवरी, 2026 के आखिरी सप्ताह में
कंप्यूटर आधारित परीक्षा परिणाम (SPPT हेतु शॉर्टलिस्ट) प्रकाशित किए जाने की संभावित समय-सारिणी	कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) के दो सप्ताह उपरांत

*कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) की सटीक तिथि तथा शहर/परीक्षा केंद्र (स्थल) का विवरण अलग से सूचित किया जाएगा।

विज्ञापन संख्या.: PR/P/49 (2025-26)

सी एस आई आर-केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान

(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद)

महात्मा गांधी एवेन्यू, दुर्गापुर 713209 (पश्चिम बंगाल)

भर्ती सूचना (विज्ञापन सं. 11/2025)

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 22.12.2025, सुबह 10:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 21.01.2026, सायं 05:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

सीएसआईआर-केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर जो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक प्रमुख संस्थान है, भारत के नागरिकों एवं 18 से 28 वर्ष आयु के (भारत सरकार के नियमों के अनुसार छूट लागू) योग्य उम्मीदवारों से **टेक्नीशियन-I के 20 पदों** (ट्रेडः फिटर; इलेक्ट्रीशियन/मैकेनिक (इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइव्स); इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक / इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एवं डिजिटल फोटोग्राफी) को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। यह पद CSIR-CMERI, दुर्गापुर और इसके लुधियाना स्थित एक्सटेंशन सेंटर में हैं।

विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार संस्थान की वेबसाइट: **www.cmeri.res.in → Career → Vacancies → Advt. No. 11/2025** पर लॉग ऑन कर सकते हैं।

प्रशासन नियंत्रक

भारतीय गुणवत्ता परिषद QUALITY COUNCIL OF INDIA QCI Creating an Ecosystem for Quality

भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्युसीआई), भारत सरकार द्वारा स्थापित एक प्रमुख स्वायत्त निकाय है। क्युसीआई का दायित्व, गुणवत्तापूर्ण सोच विकसित करना है और हमारी परिकल्पना यह सुनिश्चित करने की है कि हर नागरिक तक पहुंचने वाले उत्पाद और सेवाएं गुणवत्तापूर्ण हों। एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय के रूप में क्युसीआई, अपने घटक बोर्डों और प्रभागों के माध्यम से अपनी गतिविधियों का समन्वय करते हुए उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं के स्वतंत्र अन्य-पक्ष आकलन का तंत्र स्थापित करती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), क्युसीआई के लिए नोडल प्वाइंट के रूप में कार्य करता है।

क्युसीआई एतदद्वारा "Engagement of Survey Agencies for Verification of Local Agricultural Entities (LAE) and Local Fisheries Entities (LFE) across India" हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करती है।

अपेक्षाओं के विस्तृत विवरण के साथ प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी), क्युसीआई की वेबसाइट: www.qcin.org पर निविदा खंड (https://qcin.org/work-with-us/#tenders) के अंतर्गत देखा जा सकता है।

इच्छुक एजेंसियां अपनी बोलियां, बाहरी लिफाफे पर "Engagement of Survey Agencies for Verification of Local Agricultural Entities (LAE) and Local Fisheries Entities (LFE) across India" लिखकर भारतीय गुणवत्ता परिषद् (प्रापण इकाई), टॉवर जे, दूसरा तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली - 110029 के पते पर (डाक से या दस्ती तौर पर) भेज सकती हैं। बोलियां प्रस्तुत करने के लिए आरएफपी दस्तावेज में उल्लिखित विवरण के अनुसार, तकनीकी बोलियां और वित्तीय बोलियां अलग-अलग लिफाफों में होनी चाहिए और इन दोनों लिफाफों को एक अन्य लिफाफे में बंद करके भेजा जाना चाहिए।

QCI'S BOARDS AND DIVISIONS: NABCB NABH NABL NABET NBQP PADD PPID NDIE Strategy & Policy Division ONDC FOUNDED & SUPPORTED BY QCI

Quality Council of India, World Trade Centre, J-200, Block J, Narouji Nagar, Safdarjung Enclave, New Delhi- 110029

@QualityCouncilofIndia @QualityCouncil qualitycouncilofindia quality-council-of-india-qci- info@qcin.org